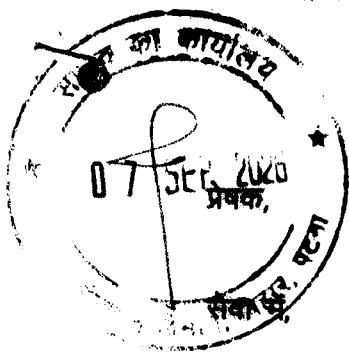




पत्र संख्या-उ० वि०-अ (अधग)/2011-1751/1

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

Received through
Email Dt- 02/09/26

एस० एम० परवेज आलम,
अपर सचिव-सह-निदेशक।

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रभान सचिव/
सभी सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी जिला अपर निबंधक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/
सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/
सभी जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सभी ग्राम अधीक्षक/
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी कार्यालय प्रधान, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 03.09.26

विषय :- ऑनलाईन के माध्यम से, उर्दू (राज्य की द्वितीय राजभाषा) सीखने के इच्छुक पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण के आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत गैर उर्दू भाषी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण को उर्दू (राज्य की द्वितीय राजभाषा) ऑनलाईन पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत "उर्दू प्रशिक्षण/अधिगम केन्द्र" संचालित है। ऑनलाईन उर्दू प्रशिक्षण का अगला सत्र (02/2026) दिनांक-13.10.2026 से प्रारंभ होना सुनिश्चित है। प्रशिक्षण 70 दिनों (प्रतिदिन 02 घंटे), सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को अपराह्न 01:00 बजे से 03:00 बजे तक चलेगा। प्रशिक्षण-सत्र की समाप्ति के बाद निदेशालय द्वारा ऑनलाईन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सफल प्रशिक्षुओं को उर्दू अधिगम प्रमाण-पत्र (Urdu Learning Certificate) प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक गैर उर्दूभाषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी संलग्न विहित प्रपत्र में, अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन-पत्र निदेशक, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के पत्नीखरनाथ रेणु हिन्दी भवन (मिनिस्ट-आकाशवाणी), छज्जुबाग, पटना-800001 के पते पर दिनांक-08.10.2026 तक निबंधित डाक से या निदेशालय के ई-मेल-urdulearning123@gmail.com पर भेज सकते हैं या हाथों-हाथ कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

उर्दू अधिगम/प्रशिक्षण से सम्बंधित अन्य आवश्यक जानकारी मोबाइल नं०-9472270164 / 9470677425 / 8340725074 / 9709388256 पर प्रत्येक कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

नामांकन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

अनुलग्नक : आवेदन पत्र का प्रपत्र।

विशेष सचिव,

(एस० एम० परवेज आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

सचिव

उल संसाधन विभाग
डायरी नं० 8010
दिनांक 02/09/26

विशेष सचिव, कोषांग
डायरी नं० 2116 (अ३०)
दिनांक 08/09/26
उल संसाधन विभाग

उप सचिव (मुख्यालय) कोषांग
पत्र डायरी संख्या-1585

ज्ञाप संख्या- उ० नि०-६७ (खण्ड)/२०११ १७५१, पटना, दिनांक-०३.०९.२६

प्रतिलिपि :- श्री रज़ा अहमद आरफी, वरीय सचिवालय सहायक को उर्दू निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रभावी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग/अनुवाद पदाधिकारी (उर्दू), जिला उर्दू भाषा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इस पत्र को (अनुलग्नक सहित) विभागीय वेबसाईट पर यथाशीघ्र अपलोड करने का कष्ट किया जाए।

(एस० एम० परीज आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

ई-मेल

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:-०१/स्था०-२६-२६/२०२४- ५३५३

पटना, दिनांक- १४/९/२०२६

प्रतिलिपि:- विभाग (मुख्यालय एवं मुख्य अभियंता कार्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. कार्यपालक अभियंता IT, WRD IT Centre, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं IT Manager जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सभी मुख्य अभियंताओं को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

(संजय प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

ऑनलाइन उर्दू प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सूचना

आईये! उर्दू पढ़ना-लिखना सीखें।

पटना सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों, सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय कार्यालयों में कार्यरत गैर उर्दूभाषी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा निजी क्षेत्रों (पत्रकारिता, साहित्य, वकालत, शिक्षा, समाजसेवा, आदि) से जुड़े उर्दू सीखने के इच्छुक व्यक्तियों को 70 दिनों (प्रतिदिन 02 घंटे) में निःशुल्क ऑनलाइन उर्दू पढ़ना-लिखना सिखाने की व्यवस्था उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन उर्दू अधिगम/प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा की गयी है।

2. ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र दिनांक-13.10.2026 से प्रारंभ हो रहा है। प्रशिक्षण कार्य अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को अपराह्न 1:00 बजे से 3:00 बजे तक संचालित होगा।

3. उर्दू पढ़ना-लिखना सीखने के इच्छुक बिहार एवं देश के अन्य सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय कार्यालयों के गैर उर्दूभाषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी संलग्न विहित प्रपत्र में, अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन-पत्र e-mail id-urdulearning123@gmail.com पर या निदेशक, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के फणीश्वरनाथ रेणु हिन्दी भवन (निकट-आकाशवाणी), छज्जुबाग, पटना-800001 के पते पर निबंधित डाक से भेज सकते हैं।

4. सभी गैर सरकारी क्षेत्रों के इच्छुक व्यक्ति (पत्रकार, साहित्यकार, वकील, शिक्षक, समाजसेवी, विद्यार्थी आदि) अपना आवेदन-पत्र सीधे उपर्युक्त ई-मेल आईडी या पत्राचार हेतु दिये गए पते पर भेज सकते हैं।

5. आवेदन-पत्र दिनांक-06.10.2026 के अपराह्न 5:00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। आवेदन-पत्र का प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/csd> से डाउनलोड किया जा सकता है।

6. प्रशिक्षण-सत्र की समाप्ति के बाद निदेशालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सफल प्रशिक्षुओं को उर्दू अधिगम प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

7. उर्दू प्रशिक्षण से सम्बंधित अन्य आवश्यक जानकारी मोबाइल नं०-9472270164 / 9470677425 / 8340725074 / 9709386256 पर प्रत्येक कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं।

8. भाषा एवं साहित्य में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

9. नामांकन का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

(एस० एम० परवेज आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक

228

उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन संचालित
ऑनलाईन उर्दू भाषा प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन हेतु आवेदन का प्रपत्र।

01. नाम (हिन्दी में) :-
02. नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :-
03. पिता का नाम (हिन्दी/अंग्रेजी में) :-
04. पति का नाम (हिन्दी/अंग्रेजी में) :-
05. जन्म तिथि :-
06. पदनाम (केवल सरकारी पदा०/कर्मचारी) :-
07. विभाग/कार्यालय/कार्य-क्षेत्र का नाम :-
08. पेशा (गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए) :-
09. स्थायी पता :-
10. पत्राचार का पता :-
11. काट्सएप नम्बर :-
12. ई-मेल आई.डी. :-
13. उन भाषाओं के नाम, जिन्हें बोलना/पढ़ना/लिखना जानते/जानती हैं :-

पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

14. पूर्व में यदि उर्दू भाषा की औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की है, तो उसका विवरण :-

घोषणा :- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उर्दू भाषा स्वेच्छा से सीखना चाहता/चाहती हूँ तथा इसके लिए पूरे शिक्षण-सत्र तक नियमित रूप से उपस्थित रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि

15. (i) आवेदन पत्र अग्रसारित करने वाले
पदाधिकारी का नाम/पदनाम :-
- (ii) हस्ताक्षर एवं तिथि :-

नोट :- 15. (i) एवं (ii) बिहार एवं अन्य सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/केन्द्रीय कार्यालयों के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आदि के लिए है। सभी गैर सरकारी क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपना आवेदन सीधे भेज सकते हैं।

उर्दू निदेशालय के उपयोग हेतु

1. बैच संख्या :-
2. रोल नं० :-
3. सत्र आरंभ होने की तिथि :- 13.10.2026